मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

क्रमांक/50–2/16/4640 भोपाल,दिनांक 2 नवम्बर 2016

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
समस्त (म.प्र.)

विषयः–बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार के प्रदाय के संबंध में।

संदर्भः–म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./एफ 4–5/14/50–2,दि. 24.2.2014,संचालनालयीन पत्र क्र.2704,दिनांक 2.5.15,पत्र क्र.3501,दि.15.7.15 पत्र क्र.4468, दि.7.11.15,पत्र क्र.164,दिनांक 19.1.16,पत्र क्र.365,दि. 02.02.16 एवं पत्र क्र.443,दि.10.02.16 ।

.....

प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रावधान है ।

वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान देखने में आया है कि आंगनवाडी केन्द्रों में नाश्ता/भोजन प्रदाय हेतु पंचनामा तैयार नही किया जा रहा है तथा कई परियोजनाओं में स्व सहायता समूह एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता को पंचनामा तैयार करने की जानकारी ही नही है ।

आंगनवाड़ी केन्द्रो में प्रदायित पूरक पोषण आहार उच्च गुणवत्ता का एवं नियमित रूप से हो इस संबंध में समय समय पर आपको आवश्यक निर्देश दिये गये है । राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों एवं वीडिंयों कान्फ्रेन्सिग में भी कई बार इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है । अतः भविष्य में इस बात पर विशेष बल दिया जाये कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार नियमित रूप से वितरण हो । आंगनवाड़ी केन्द्रो पर स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन पंचनामा तैयार किया जावे। स्व सहायता समूह/कार्यकर्ता को पंचनामा तैयार करने हेतु विशेष रूप से अवगत करावें तथा उन्हें निर्धारित प्रपत्र/पंजी उपलब्ध करावें ।

राज्यशासन के निर्देशानुसार आंगनवाडी केन्द्रों में प्रतिदिन नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता की जॉच आंगनवाडी कार्यकर्ता के साथ–साथ ग्राम सभा, स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों एवं बच्चों की माताओं तथा अन्य पालकों के द्वारा किये जाने का प्रावधान है, वे आहार चखकर उसकी गुणवत्ता देखेंगें तथा चखने के उपरान्त ही नाश्ता/भोजन का वितरण किया जावेगा ।

आंगनवाडी केन्द्र के समीप यदि कोई एकल बुजुर्ग गरीब महिला/पुरूष उपलब्ध हो तो उक्त व्यक्ति को भी आंगनवाडी केन्द्र में भोजन की गुणवत्ता नियमित रूप से सुनिश्चित करने हेतु रखा जावें तथा उन्हें पूर्ण आहार उपलब्ध कराया जावें, यदि एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हो तो रोस्टर प्रणाली के माध्यम से अलग–अलग दिन निर्धारित किए जा सकते है। पोषण आहार व्यवस्था में सुधार के लिये उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

पृष्ठांकमांक/50-2/16/4641,
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव, 2/11/16
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग